रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022021-224925
CG-DL-E-04022021-224925

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2021/माघ 14, 1942
No. 54] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2021/MAGHA 14, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2021

फा. सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(13)/एफएसएसएआई-2019.—खाद्य सुरक्षा और (मानक विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमो का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का विनियम 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार,भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. मानक/ओ और एफ/अधिसूचना(13)/एफएसएसएआई-2019, तारीख 28 अगस्त, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था,जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थी तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को तारीख 30 अगस्त, 2019 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त विनियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) द्वितीय संशोधन विनियम, 2021 है।

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे और खाद्य कारोबार चालक को 1 जनवरी 2022 को या उसके बाद निर्मित सभी उत्पादों के लिए इन विनियमों के सभी उपबंधों का अनुपालन करना होगा।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन), विनियम, 2011 में,-

(1) विनियम 1.2 में, खंड 1 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात-

"2. "औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड" से मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसेचुरेटेड फैटी एसिड के सभी ज्यामितीय समावयवों, जिनमेंगैर-संयुग्मित जो कम से कम एक मिथाइलीन समूह से बाधित, कार्बन-कार्बन युग्म आबंध ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन मे होते हैं। इनमेंदुग्ध उघोग, मांस, मछली और उनके उत्पादों से ट्रांस-फैटी एसिड शामिल नहीं है।"

(2) विनियम 2.3 के, उपविनियम 2.3.14 में, खंड (20) के पश्चात, निम्नलिखित को अत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

"(21) खाद्य उत्पाद, जिसमें खाद्य तेलों और वसा का उपयोग एक संघटक के रूप में किया जाता है, 1 जनवरी, 2022 से उत्पाद में ट्रांस फ़ैटी एसिड कुल तेलों/वसा के भार से 2% से अधिक नहीं होगा।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./488/2020-21]

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ. सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गए:–

(i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 8 फरवरी, 2013;

(ii) फा. सं. स्टैंडर्डस्/ओ एंड एफ/अधिसूचना(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;

(iii) फा. सं. स्टैंडर्डस्/एफ एंड वीपी/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016;

(iv) फा. सं. स्टैंडर्डस्/ओ एंड एफ/अधिसूचना(8)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;

(v) फा. सं. स्टैंडर्डस्/सहयोज्य-2/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, तारीख 25 जून, 2019;

(vi) फा. सं. स्टैंडर्डस्/साल्ट/विविध/01/एफएसएसएआई-2016(भाग-1), तारीख 25 जून, 2019;

(vii) फा. सं. स्टैंडर्डस्/सहयोज्य-3/अधिसूचना/एफएसएसएआई/2018, तारीख 21 जुलाई, 2020;

(viii) फा. सं. मानक/एगमार्क-बीआईएस/02/एफएसएसएआई-2018, तारीख 20 अक्टूबर, 2020;

(ix) फा. सं. स्टैंडर्ड्स/ओ एण्ड एफ/अधिसूचना(12)/एफएसएसएआई-2019, तारीख 26 अक्टूबर, 2020; और

(x) फा. सं. विनियम/स्टैंडर्डस्-केसरी दाल/एफ.एस.एस.ए.आई.-2020, तारीख 12 जनवरी, 2021.

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February, 2021

F. No. Stds/O&F/Notification(13)/FSSAI-2019.—Whereas the draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, was published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India number File No. Stds/O&F/Notification(13)/FSSAI-2019, dated the 28th August, 2019, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 30th August, 2019;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, namely :-

1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Second Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and Food Business Operator shall ensure compliance to all the provisions of these regulations for all the products manufactured on or after 1st January, 2022.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011,-

(1) in regulation 1.2, after clause 1, the following clause shall be inserted, namely-

"2. "Industrial trans fatty acids" means all the geometrical isomers of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids having non-conjugated, interrupted by at least one methylene group, carbon-carbon double bonds in the trans configuration. It excludes trans-fatty acids from dairy, meat, fish and their products.";

(2) in regulation 2.3, in sub-regulation 2.3.14, after clause (20), the following clause shall be inserted, namely-

"(21) Food Products in which edible oils and fats are used as an ingredient shall not contain industrial trans fatty acids more than 2% by mass of the total oils/fats present in the product, on and from 01st January, 2022.".

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./488/2020-21]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

i. F. No. 4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013;
ii. F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
iii. F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
iv. F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018;
v. F. No. Stds/Additives-2/Notification/FSSAI/2018, dated the 25th June, 2019;
vi. F. No. Stds/Salt/Misc/01/FSSAI-2016 (pt-1), dated the 25th June, 2019;
vii. F. No. Stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated 21st July, 2020;
viii. F. No. Stds/Agmark-BIS/02/FSSAI-2018, dated 20th October, 2020:
ix. F. No. Stds/O&F/Notification(12)/FSSAI-2019, dated 26th October, 2020: and
x. F. No. Reg/Stds-Khesari dal/FSSAI-2020, dated 12th January, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM